

3/यो0संक०-41/2023

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

69

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 07.8.26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) के संचालन हेतु प्राप्त बजटीय उपबंध रु० 5461.00 लाख (चौवन करोड एकसठ लाख) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक 573 दिनांक 07.03.2023 द्वारा जरूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण हेतु उनके पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर सुरक्षा मजबूत करने, अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत करने एवं ढाँचों को सुदृढ़ बनाने तथा अन्य कल्याणार्थ मिशन वात्सल्य योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) संचालित है। SNA SPARSH MODULE के तहत संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की राशि को केन्द्रांश हेतु कर्णांकित विपत्र कोड में ही उपबंधित कराये जाने का प्रावधान वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश के अतिरिक्त राज्य योजना के रूप प्राप्त कुल रु० 15222.00 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 51 दिनांक 15.04.2026 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रु० 5461.00 लाख (चौवन करोड एकसठ लाख) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रु. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश अनुपात	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मिशन वात्सल्य योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना)	51- 2235021020223	60:40	0223.31.04	3500.00	2245.00
2	गैर संस्थागत देख-भाल के प्रयोजन/पालन पोषण देख-रेख/पश्चातवर्ती देख-रेख (मिशन वात्सल्य)	51- 2235021020228	60:40	0228.31.06	4342.00	2416.00
कुल (छियालिस करोड एकसठ लाख)						4661.00
राज्य योजना						
3	मिशन वात्सल्य पर राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय	51- 2235021020124	00:100	0124, 31.04, 31.06	1200.00	800.00
कुल (आठ करोड)						800.00
कुल रु० (चौवन करोड एकसठ लाख)						5461.00

2 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में उक्त योजना के राज्यांश मद की राशि को केन्द्रांश मद के अधीन उपबंधित है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026, 926/वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-41/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-27/टि० पर दिनांक- 06.08.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-41/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 27/टि० पर दिनांक- 06.08.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


 7/8/26
 संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-41/2023

69

पटना, दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 7/8/26
 संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-41/2023

69

पटना, दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 7/8/26
 संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-41/2023

69

पटना, दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि-विभागीय आई०टी० मैनेजर,को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 7/8/26
 संयुक्त सचिव।